न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 483/2025

प्रार्थी :-
1. करणसिंह पुत्र बालुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कुई वाला बास बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री पुनाराम सीरवी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1- सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 09/03/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कुई वाला बास बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान का मूल निवासी है तथा भारतीय नागरिक है तथा अप्रार्थी भूमिधारी है तथा उपरोक्त पते पर कार्यालय है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि नया खाता संख्या 80 पुराना खाता संख्या 16 जिसके खसरा नम्बर 11 रकबा 1.0436 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय खसरा नम्बर 12 रकवा 2.4027 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे दो का कुल रकबा 3.4463 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बिलाड़ा चक-1. पटवार हल्का बिलाड़ा चक-1 भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में आयी हुई है जिस पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की भूमि नया खाता संख्या 81 पुराना खाता संख्या 76 जिसके खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.6796 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1739 रकबा 0.1456 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1740 रकबा 0. 9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1766 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1769 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1770 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1773 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरास नम्बर 1773६4686 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय कुल खसरे 09 का कुल रकबा 2.8559 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बिलाड़ा चक-1, पटवार हल्का बिलाड़ा चक-1, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में आयी हुई है जिसमे प्रार्थी का 3/4 हिस्सा है जिस पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त पद संख्या 02 दो व 03 में स्थित खसरो की भूमि को इस प्रार्थना-पत्र मे अब आगे वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित कियाक जायेगा । उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम करणसिंह दत्तक पुत्र बालूराम जाति पुरोहित अमल दरामद किया गया है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थी के बैंक खाता की पास बुक, प्रार्थी का राशन कार्ड, प्रार्थी की पत्नि का जन आधार कार्ड, प्रार्थी का पेन कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम बालुसिंह दर्ज है तथा प्रार्थी के दत्तक पिता श्री बालूसिंह के स्वयं के बने राशन कार्ड मे, मतदात

बालुसिंह नाम दर्ज है तथा प्रार्थी
पहचान पत्र मे, घरेलु विद्युत बिल में, बालुसिंह राजपुरोहित के नाम
के पिता बालुसिंह का मृत्यु प्रमाण-पत्र श्री मालुसिंह इस प्रार्थना-पत्र
से बना हुआ है। जो उक्त सभी दस्तावेजो की कोटी प्रति इस प्रार्थना-पत्र
के साथ संलग्न है । तथा उपरोक्त खसरी की भूमि में प्रार्थी करणसिंह
दत्तक पुत्र श्री बालुसिह राजपुरोहित के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं है
यानि करणसिंह दत्तक पुत्र श्री बालुसिंह राजपुरोहित व करणसिंह दत्तक
पुत्र बालूराम दोनों एक ही व्यक्ति है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या
02 व 03 में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के दत्तक पिता श्री बालूराम के
स्थान पर रेकर्ड के अनुसार करणसिंह दत्तक पुत्र श्री बालुसिंह राजपुरोहित
नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया जाना अति आवश्यक हो गया है।
अतः प्रार्थना-पत्र बाबत दुरूस्त करने का पेश है। उपरवर्णित कृषि भूमि
मे प्रार्थी को जानकारी होने पर कई बार रेकर्ड दुरूस्त करने का निवेदन
किया लेकिन इसका आज दिन तक किसी प्रकार का सुधार या दुरूस्त
नहीं किया गया है। श्रीमान तहसीलदार महोदय बिलाड़ा को भी निवेदन
किया लेकिन स्पष्ट मना कर दिया है तथा कहा कि धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थना-पत्र पेश करे तब वाद कारण
तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर के मना करने पर पैदा हुआ है जो
आज दिन तक लगातार जारी है। उक्त भूमि तहसील बिलाड़ा जिला
जोधपुर के क्षेत्राधिकार का होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र माननीय
न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है ।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि इसे स्वीकार फरमाया जावे
तथा ग्राम बिलाड़ा चक 1 की सरहद में स्थित उपरवर्णित खसरो की
भूमि मे प्रार्थी करणसिंह दत्तक पुत्र श्री बालूराम के स्थान पर रेकर्ड के
अनुसार करणसिंह दत्तक पुत्र श्री बालुसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित
नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाने का आदेश फरमावे अन्य
उचित आदेश जो पक्षकार के पक्ष मे हो सादिर फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये
सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए।
अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया
जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 1
की वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी के खाता सं. 81 में करणसिंह दत्तक
पुत्र बालुराम हिस्सा 3/4 जाति पुरोहित सा.देह खातेदार, जितेन्द्र सिंह
पुत्र दशरथ सिंह हिस्सा 1/4 जाति पुरोहित सा.देह खातेदार दर्ज है व
खाता सं. 80 में करणसिंह दत्तक पुत्र बालूराम हिस्सा पूर्ण दर्ज है।
जरिये नामा.सं. 3380 विरासत बालुराम पुत्र कालूराम जाति पुरोहित सा.
देह खातेदार के स्थान पर सिरेकंवर पत्नी बालुराम करणसिंह गोद पुत्र
बालुराम प्रेमकंवर पुत्री बालुराम जाति पुरोहित सा.देह खातेदार दर्ज हुआ।
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
व राशनकार्ड में वादी का नाम करणसिंह पुत्र बालुसिंह दर्ज है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना
पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती
का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को
दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ड्राईविंग लाईसेन्स करनसिंह राजपुरोहित पुत्र बालु सिंह, निर्वाचन पहचान पत्र करणसिंह पुत्र बालुसिंह, करणसिंह पुत्र बालुसिंह आधार कार्ड, आदि पेश किये जिसमें वादी के पिता का नाम बालुसिंह अंकित है। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खाता सं. 81 व खाता सं. 80 में करणसिंह दत्तक पुत्र बालुराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2075 से 2078 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी का नाम करणसिंह पुत्र बालु सिंह के स्थान पर गलत नाम करणसिंह दत्तक पुत्र बालुराम दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिलाड़ा चक 1 तहसील बिलाड़ा के खाता सं. 81 व खाता सं. 80 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम करणसिंह दत्तक पुत्र बालुराम के स्थान पर सही नाम करणसिंह पुत्र बालुसिंह नाम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/03/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा